कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) उदयपुर

क्रमांकः भू.अ. / विविध / 19 / 9150 दिनांकः 28/06/19

Dy.No. 2530/LP/19 06/7/19

प्रेषिति,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
National Green Tribunal Principal Bench,
New Delhi

विषयः— बाघेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंगजी) के सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

प्रसंगः— एप्लीकेशन नम्बर 372 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश की पालना मे निवेदन है कि प्रश्नगत बाघेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंगजी) का सीमांकन करा अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही तहसीलदार बडगांव द्वारा की गई। माननीय National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi के आदेश दिनांक 23.05.19 की पालना में तहसीलदार बडगांव के पत्रांक 733—35 दिनांक 12.06.19 से ग्राम कैलाशपुरी में स्थित बाघेला तालाब के केचमेन्ट एरिया में किसी भी प्रकार का अवरोध अतिक्रमण नहीं होना बताया है। तालाब का सीमांकन पटवारी हल्का द्वारा कराये जाने पर तालाब सीमा में कुल 4 अतिक्रमण चिह्नित किये गये जिसमें अतिक्रमियों के विरूद्ध तहसीलदार बडगांव द्वारा नियमानुसार राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर एक अतिक्रमण दिनांक 10.06.2019 को एवं शेष तीन अतिक्रमण दिनांक 20.06.19 को मौके से हटवाये गये है।

श्रीमान के आदेश की अनुपालना में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत है।

240/LP 30/7/19

संलग्नः— उपरोक्तानुसार किता— 19

भवदीय

जिला कलक्टर (भू.अ.)
उदयपुर

Consultant (Judl)
सलाहकार (अदालती)
8-7-19

\\10.138.249.71\Hemant\From D\OFFICE\Cashier\2 Suresh Ji.docx - 983 -

1045/PPS/DAK 06/7/19

Item No. 31 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 372/2019

Residents of Village Kailashpuri Applicant(s)

Versus

State of Rajasthan Respondent(s)

Date of hearing: 23.05.2019

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a complaint received by post

ORDER

Grievance in this letter, which has been treated as an application, is that *Bagela Talab* (pond) at Kailashpuri in District Udaipur, Rajasthan is being encroached for construction. Protection of water bodies by demarcation and assigning UIDs is an essential requirement of environment as laid down in *O.A. No. 325/2015, Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi vs. Union of India & Ors.*

In view of above, let a factual and action taken report be furnished in the matter by the District Magistrate, Udaipur within one month by e-mail at ngt.filing@gmail.com. The report may mention the steps taken for protection of the catchment area and for demarcation.

PETITION

O.A.No. 372/2019

सेवा में ,

श्रीमान जिलाधीश महोदय LP Regn. No. 2107/19 08/03/19

जिला - उदयपुर (RAJ.)

विषय : बागेला तालाब , कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि गाव कैलाशपुरी जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है । पिछले कुछ समय में ग्राम पंचायत कैलाशपुरी में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु तालब पेटे में अवेध रूप से अतिक्रमण व निर्माण किये जा रहे है ।

दुर्भाग्यवश ग्राम पंचायत ,कैलाशपुरी द्वारा [redacted] सभी निर्माण कार्यो को पर्यावरण नियमो को ताक में रख व दरकिनार कर NOC जारी कर दी गई है व लगातार की जा रही है ।

हमारा निवेदन आपसे बस इतना है कि पर्यावरण की सुन्दरता व जैव विविधता को ध्यान में रखकर बागेला तालाब , कैलाशपुरी (एकलिंग जी) का सीमांकन करवाया अतिसिग्र करवाया जाए तथा अवेध कब्ज़ाधारियों के कब्जे रोके जाए ।

सादर ।

नोट : भूमाफियो व बड़े उधोगपतियो से हमारी तथा हमारे परिवारों के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए पत्राचार का पता नहीं दिया है बाकि उक्त पत्र में लिखी सभी बाते सत्य है , आप पत्राचार का पता नही उल्लेख करने के कारण पत्र को कचरे के डिब्बे में ना डाले ।

PS to Hon'ble Chairperson
Diary 305/Dak
Dated: 22/02/2019

निवेदक

समस्त प्रक्रति प्रेमी ग्रामवासी व पर्यटक

प्रतिलिपि-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय , नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ,नईदिल्ली

2. सचिव महोदय ,पर्यावरण ,वन एवम जलवायु मंत्रालय ,नई दिल्ली

3. Principal Chief Conservator of Forests, (HOFF), Rajasthan,

स्मरण पत्र/अति आवश्यक (3)

कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) उदयपुर

क्रमांकः– प–9/भू.अ./विविध/सी.जा./19/8839-41 दिनांकः– 31/05/19

निमित्तः–

तहसीलदार

बड़गांव।

विषयः– बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के संबंध में।

संदर्भः– NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI के आदेश 23.05.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयांतर्गत बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन एवं कैचमेंट एरिया के संरक्षण के संबंध में NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI का आदेश इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त विषय में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 1363 दिनांक 22.02.2019 से आपको जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाने बाबत् लिखा गया था, जो कि आदिनांक अप्राप्त है।

अतः उक्त विषय में कैचमेंट एरिया के संरक्षण एवं सीमांकन के लिए आप द्वारा की गई कार्यवाही मय ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र (संलग्न) में अंकित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट 7 दिवस में जिला मजिस्ट्रेट महोदय उदयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। **इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।**

सलंग्नः उपरोक्तानुसार किता– 3

प्रभारी अधिकारी
भू–अभिलेख अनुभाग
जिला कलक्टर कार्यालय,उदयपुर

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. उपखण्ड़ अधिकारी बड़गांव।
2. रीडर, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय उदयपुर।

प्रभारी अधिकारी
भू–अभिलेख अनुभाग
जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर

d:\office\vividh_from16-05-19\letters 2016.docx

(4)

कार्यालय तहसीलदार (भू अ०) बड़गांव जिला उदयपुर (राज०)

क्रमांक भूअ/2019/733-35 दिनांक 12-06-2019

निमित्त!

श्रीमान् जिला कलक्टर
उदयपुर

विषय :- बाघेला तालाब कैलाशपुरी (एकलिंगजी) के सीमांकन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- क्रमांक प-1/भूअ/विविध/सी.आ./19/8839-41 दि० 31-05-19

उपरोक्त प्रासंगिक विषय में निवेदन है कि ग्राम कैलाशपुरी में स्थित बाघेला तालाब के कैचमेन्ट एरिया में किसी प्रकार का अवरोध/अतिक्रमण नहीं है। तालाब की सीमांकन पटवारी हल्का द्वारा कराये जाने पर तालाब सीमा में कुल चार अतिक्रमण चिन्हित किये गये है जिनके विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसमें से एक प्रकरण में बेदखली आदेश होने पर दिनांक 10-06-2019 को अतिक्रमण मौके पर हटाया जा चुका है शेष प्रकरण निर्णय से शेष होने से लम्बित है। निर्णय होने पर मौके से बेदखली कर दी जायेगी।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
बड़गाँव, जिला—उदयपुर (राज.)

विविध
13-6-19
R-1208

संलग्न :

प्रतिलिपि : (1) श्रीमान जिला कलक्टर (भूअ०) उदयपुर
(2) श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बड़गांव

तहसीलदार (भू.अ.)
बड़गाँव, जिला—उदयपुर (राज.)

(2) (5)

रिपोर्ट पटवारी हल्का कैलाशपुरी

सेवा में
श्रीमान तहसीलदार सा.
बडगाव उदयपुर

विषय: बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के सम्बन्ध में

महोदय जी
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के आदेश क्रमांक भू अ/2019/274 दिनांक 5/3/19 की पालना में बागेला तालाब कैलाशपुरी (एकलिंगजी) का सीमांकन किया गया मौके पर कुल चार अतिक्रमण पाये गये जिनको अतिक्रमण हटाने हेतु पृथक से धारा 91 के तहत रिपोर्ट श्रीमान को प्रस्तुत की गई है जिसमें एक प्रकरण निर्णीत होने से मौके पर अतिक्रमी को बेदखल किया जा चुका है शेष तीन प्रकरणों में विधिवत प्रक्रियाधीन है। बागेला तालाब के कैचमेंट एरिया में किसी प्रकार का अवरोध अतिक्रमण नही होना पाया गया है। अत: रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है

LR
[signature]
12/6/19

भवदीय
[signature]
कोमल डांगी
पटवारी कैलाशपुरी

(3) (6)

रिपोर्ट पटवारी हल्का कैलाशपुरी

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार सा.

बड़गांव उदयपुर

विषय: बागोला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के सम्बन्ध में।

महोदयजी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के आदेश क्रमांक म.म./2019/274 दिनांक 5/3/19 की पालना में बागोला तालाब कैलाशपुरी (एकलिंग जी) का सीमांकन किया गया। सीमांकन करते वक्त जाहिर आया कि गांव मुणावास प.ह. कैलाशपुरी के आराजी नं 519 के लगभग 0.0500 पर श्री प्रदीप आमेटा द्वारा पक्की कोट बनाकर अतिक्रमण किया गया है एवं गांव नागदा प.ह. कैलाशपुरी के आराजी नं 520 पर बेणीराम गमेती ने लगभग 0.1000 कंचन माली ने लगभग 0.0600 पर एवं चम्पालाल माली ने लगभग 0.0600 पर अतिक्रमण कर रखा है उक्त सभी अतिक्रमियों की धारा 91 के तहत प्रकरण तैयार कर पृथक से प्रस्तुत किया गया है

अत: रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है

L.R. [signature] 4/6/19

भवदीय

[signature]

कोमल छाबड़ा

पटवारी कैलाशपुरी

(4) (7)

पर्चा मौका

आज दिनांक 5/6/19 को श्रीमान तहसीलदार महोदय बडगांव के आदेश क्रमांक भू अ/2019/274 दिनांक 5/3/19 की पालना में मय रिकॉर्ड बागोला तालाब कैलाशपुरी (एकलिंग जी) का सीमांकन करवाने पहुंची सीमांकन करते वक्त जाहिर आया कि गांव मुणवास प. ह कैलाशपुरी के आराजी नं 519 के लगभग 0.0500 पर प्रदीप गमेती द्वारा पक्की कोट बनाकर अतिक्रमण किया गया है एवं गांव नागदा प. ह कैलाशपुरी के आराजी नं. 520 पर बेणीराम गमेती ने लगभग 0.1000 पर, कचन माली ने लगभग 0.0600 पर एवं धर्मनाथ माली ने लगभग 0.0600 पर अतिक्रमण कर रखा है उक्त सभी अतिक्रमियों को धारा 91 के तहत प्रकरण तैयार कर पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है उपस्थित मौतबिरान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर/निशानी लिये गये।

यशवन्त नागदा
ग्राम प्रतिहारी प.ह कैलाशपुरी

लोकेश

नरेश गमेती

तोलाराम

पटवारी
प. ह. कैलाशपुरी

(8) (8)

रिपोर्ट पटवारी हल्का कैनाशाखुी

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार सा.

बड़गांव उदयपुर

विषय: अतिक्रमी वेणीराम पिता चोखला गमेती नि. कैनाशाखुी का अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान तहसीलदार सा. बड़गांव के आदेश क्रमांक राजस्व/भा.रा.91/19/622-24 दिनांक 5.6.19 की पालना में आज दिनांक 10/6/19 को अतिक्रमी वेणीराम पिता चोखला गमेती नि. कैनाशाखुी का अतिक्रमण बांधेला तालाब से हटाया गया। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

राजस्व
[illegible]

भवदीय
[signature]
कोमल डांगड़ा
पटवारी कैनाशाखुी

(6) (9)

मौका पर्चा ग्राम नागदा व.मे. कैलाशपुरी

दिनांक 10/6/19

आज दिनांक 10/6/19 को श्रीमान तहसीलदार सा. बड़गांव के आदेश क्रमांक राजस्व/धारा 91/19/622-24 दिनांक 4.6.19 की पालना में ग्राम नागदा में पुनःकर आराजी नं. 520 में वेणीराम पिता लोबला भील निवासी कैलाशपुरी द्वारा किये गये अतिक्रमण मौके पर पत्थर का कोट किया ~~जाकर~~ गया। मौके पर ध्वस्त किया जाकर बेदखल किया गया। मौका पर्चा बनाया जाकर सुनाया व उपस्थित मौतबिरान हाजिरान के हस्ताक्षर लिये गये।

नरेन्द्रकुमार

जितेन्द्र माली

अरजन

मोहनलाल

पी.आर. सापेटीया
10-6-19

पटवारी
व. कैलाशपुरी

स्मरण पत्र/अति आवश्यक

(7) (10)

कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) उदयपुर

क्रमांकः– प–9/भू.अ./विविध/सी.जा./19/8839-41 दिनांकः– 31/05/19

निमित्तः–

तहसीलदार

बड़गांव।

विषयः– बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के संबंध में।

संदर्भः– NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI के आदेश 23.05.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयांतर्गत बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन एवं कैचमेंट एरिया के संरक्षण के संबंध में NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI का आदेश इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त विषय में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 1363 दिनांक 22.02.2019 से आपको जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाने बाबत् लिखा गया था, जो कि आदिनांक अप्राप्त है।

अतः उक्त विषय में कैचमेंट एरिया के संरक्षण एवं सीमांकन के लिए आप द्वारा की गई कार्यवाही मय ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र (संलग्न) में अंकित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट 7 दिवस में जिला मजिस्ट्रेट महोदय उदयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। **इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।**

सलंग्नः उपरोक्तानुसार किता– 3

प्रभारी अधिकारी

भू–अभिलेख अनुभाग

जिला कलक्टर कार्यालय,उदयपुर

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. उपखण्ड अधिकारी बड़गांव।
2. रीडर, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय उदयपुर।

प्रभारी अधिकारी

भू–अभिलेख अनुभाग

जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर

d:\office\vividh_from16-05-19\letters 2016.docx

(8) (11)

Item No. 31

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 372/2019

Residents of Village Kailashpuri Applicant(s)

Versus

State of Rajasthan Respondent(s)

OIC-Legal/LR 29-5-19

Date of hearing: 23.05.2019

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

R 1103 29-5-19

<u>Application is registered based on a complaint received by post</u>

ORDER

Grievance in this letter, which has been treated as an application, is that *Bagela Talab* (pond) at Kailashpuri in District Udaipur, Rajasthan is being encroached for construction. Protection of water bodies by demarcation and assigning UIDs is an essential requirement of environment as laid down in *O.A. No. 325/2015, Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi vs. Union of India & Ors.*

In view of above, let a factual and action taken report be furnished in the matter by the District Magistrate, Udaipur within one month by e-mail at ngt.filing@gmail.com. The report may mention the steps taken for protection of the catchment area and for demarcation.

PETITION

O.A No. 372/2019

LP Regn. No. 2107/19
08/03/19

सेवा में ,

श्रीमान जिलाधीश महोदय

जिला - उदयपुर (RAJ.)

विषय : बागेला तालाब , कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि गाव कैलाशपुरी जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है । पिछले कुछ समय में ग्राम पंचायत कैलाशपुरी में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु तालब पेटे में अवेध रूप से अतिक्रमण व निर्माण किये जा रहे है ।

दुर्भाग्यवश ग्राम पंचायत ,कैलाशपुरी द्वारा [redacted] सभी निर्माण कार्यो को पर्यावरण नियमो को ताक में रख व दरकिनार कर NOC जारी कर दी गई है व लगातार की जा रही हैं ।

हमारा निवेदन आपसे बस इतना है कि पर्यावरण की सुन्दरता व जैव विविधता को ध्यान में रखकर बागेला तालाब , कैलाशपुरी (एकलिंग जी) का सीमांकन करवाया अतिसिग्र करवाया जाए तथा अवेध कब्ज़ाधारियों के कब्जे रोके जाए ।

सादर ।

नोट : भूमाफियो व बड़े उधोगपतियो से हमारी तथा हमारे परिवारों के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए पत्राचार का पता नहीं दिया है बाकि उक्त पत्र में लिखी सभी बाते सत्य है , आप पत्राचार का पता नही उल्लेख करने के कारण पत्र को कचरे के डिब्बे में ना डाले ।

PS to Hon'ble Chairperson
Diary: 305/Dak
Dated: 22/02/2019

निवेदक

समस्त प्रक्रति प्रेमी ग्रामवासी व पर्यटक

प्रतिलिपि-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय , नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ,नईदिल्ली

2. सचिव महोदय ,पर्यावरण ,वन एवम जलवायु मंत्रालय ,नई दिल्ली

3. Principal Chief Conservator of Forests, (HOFF), Rajasthan,

40 13

कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) उदयपुर

क्रमांकः– प–9/भू.अ./विविध/सी.जा./19/1363 दिनांकः–22/02/19

निमित्तः–

तहसीलदार (भू.अ.)
बड़गांव।

विषयः– बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के संबंध में।
संदर्भः– समस्त प्रकृति प्रेमी, ग्रामवासी एवं पर्यटक का प्रार्थना पत्र।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रार्थना प्रत्र की छायाप्रति सलंग्न कर लेख है कि पत्र में अंकित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जाँच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार किता–1

प्रभारी अधिकारी
भू–अभिलेख अनुभाग
जिला कलक्टर कार्यालय,उदयपुर

d:\office\vividh_from22.10.18\letters 2016.docx

(14)

कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) उदयपुर

क्रमांकः– प–9/भू.अ./विविध/सी.जा./19/ 8806-07 दिनांकः– 17-06-2019

निमित्तः–

रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर,
उदयपुर

प्रभारी अधिकारी
विधि अनुभाग
जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर

विषयः– बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के संबंध में।

संदर्भः– NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI के आदेश दिनांक 23.05.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयांतर्गत बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन एवं कैचमेंट एरिया के संरक्षण के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 8839–41 दिनांक 31.05.2019 के क्रम में तहसीलदार बड़गांव का पत्रांक 733–35 दिनांक 12.06.2019 मय संलग्नक के प्राप्त हुआ है जो माननीय NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI का आदेश दिनांक 23.05.2019 के क्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार किता–10

प्रभारी अधिकारी
भू–अभिलेख अनुभाग
जिला कलक्टर कार्यालय,उदयपुर

d:\office\vividh_from16-05-19\letters 2016.docx

(15)

अति आवश्यक

कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) उदयपुर

क्रमांकः– प–9/भू.अ./विविध/सी.जा./19/8813 दिनांकः– 19-06-2019

निमित्तः–

तहसीलदार
बड़गांव।

विषयः– बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के संबंध में।

संदर्भः– NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI के आदेश 23.05.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 8839–41 दिनांक 31.05.2019 के क्रम में आपका पत्रांक 733–35 दिनांक 12.06.2019, द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि बागेला तालाब सिमा में चार अतिक्रमण में से एक अतिक्रमण आपके द्वारा हटवाया गया है किन्तु तीन अतिक्रमण हटवाये जाने शेष है। आपके पत्रांक 733–35 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 8806–07 दिनांक 17.06.2019 के क्रम में विधि अनुभाग द्वारा, NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI के आदेश दिनांक 23.05.2019 के क्रम में, बागेला तालाब सिमा में स्थित सभी अतिक्रमण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने के मौखिक निर्देश दिये गये है। अतः बागेला तालाब सिमा में स्थित सभी अतिक्रमण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कर रिपोर्ट दिनांक 20.06.2019 से पूर्व श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महो. उदयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

प्रभारी अधिकारी
भू–अभिलेख अनुभाग
जिला कलक्टर कार्यालय,उदयपुर

क्रमांक :- सम/8814-17 दि. 19-06-19

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. उपखण्ड़ अधिकारी बड़गांव।
2. रीडर, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महो. उदयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, विधि अनुभाग, जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर
4. निजी सहायक, श्रीमान जिला कलक्टर महो. उदयपुर।

प्रभारी अधिकारी
भू–अभिलेख अनुभाग
जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर

d:\office\vividh_from16-05-19\letters 2016.docx

कार्यालय तहसीलदार बडगांव उदयपुर (राज0)

क्रमांक / राजस्व / 19 / 753-54 दिनांकः— 20.06.2019

निमित्त,

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय

उदयपुर ।

विषयः—बागेला तालाब, कैलाशपुरी (एकलिंग जी) के सीमांकन के संबंध में

प्रसंगः—श्रीमान् का पत्र क्रमांकःप—9 / भू.अ. / विविध / सी.जा. / 19 / 8813 दिनांक 19.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है की बाघेला तालाब सीमा में आने वाले शेष तीन अतिक्रमण के संबंध मे धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर बेदखली हेतु आदेश जारी किये गये। आदेश की पालना में पटवारी हल्का कैलाशपुरी द्वारा अतिक्रमण मौके से हटवा कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पालना रिपोर्ट की प्रति मय मौका पर्चा संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित

संलग्न :— उक्तानुसार।

तहसीलदार बडगांव
जिला—उदयपुर

प्रतिलिपि :—

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (भू.अ.) उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

तहसीलदार बडगांव
जिला—उदयपुर

(17)

रिपोर्ट पटवारी हल्का कैलाशपुरी

सेवा मे

श्रीमान तहसीलदार सा.
बडगाव उदयपुर

विषय: अतिक्रमी प्रदीप आमेटा नि. उदयपुर, चम्पालाल माली निवासी कैलाशपुरी, श्रीमती कचंन माली निवासी कैलाशपुरी का अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान तहसीलदार सा बडगाव के आदेश क्रमांक राजस्व/19/720 दिनांक 17/6/19 की पालना मे आज दिनांक 20/6/19 को अतिक्रमी प्रदीपआमेटा नि. उदयपुर श्रीचम्पालाल माली निवासी कैलाशपुरी, श्रीमती कचंन माली निवासी कैलाशपुरी का अतिक्रमण वापिस्या मजाक से हटवाया गया अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे प्रेषित है

राजस्व
20/6/19

भवदीय
(हस्ताक्षर)
कौमल धावड़ा
पटवारी कैलाशपुरी

(18)

मौकापन्चा ग्राम नागदा प.ग. कंनाशपुरी

आज दिनांक 20/6/19 को श्रीमान तहसीलदार सा बड़गाव के आदेश क्रमांक राजस्व/19/720 दिनांक 17/6/19 की पालना में गांव नागदा में पहुंचकर आराजी नं. 520 में चम्पालाल माली निवासी कंनाशपुरी, श्रीमती कंचन माली निवासी कंनाशपुरी द्वारा किये गये अतिक्रमण मौके पर पत्थर का कोट किया गया मौके पर ध्वस्त किया जाकर बेदखल किया गया। मौका पर्चा बनाया जाकर सुनाया व उपस्थित मौतबिरान हाजिरान के हस्ताक्षर लिये गये।

पटवारी
प. कंनाशपुरी

यशवन्त
ग्राम प्रतिहारी

[illegible]

मौका पर्चा ग्राम मुणवास प.म. कंनावापुरी

आज दिनांक 20/6/19 को श्रीमान तहसीलदार सा. बड़गांव के आदेश क्रमांक राजस्व/19/-20 दिनांक 17.6.19 की पालना में ग्राम मुणवास में पहुंचकर आराजी नं. 519 में प्रदीप आमेटा निवासी उदयपुर द्वारा किये गये अतिक्रमण मौके पर 3.5 फीट चौड़ी पक्की कोर कि गयी मौके पर ध्वस्त किया जाकर बेदखल किया गया। मौका पर्चा बनाया जाकर सुनाया व उपस्थित मौतबिरान हाजिरान के हस्ताक्षर लिये गये।

[signature]

यशवन्त
ग्राम प्रतिहारी

नि. दीपा गमेती

[signature]
प. कंनावापुरी